

फर्ट अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

जेब पत्र पक्षा जार नि मुकदमा नं० बनाम श्रीराम प्रसाद चौधरी वगैरा (15) नि.
की दाखल मुकदमा नं०
मुकदमा नं० की दाखल
(11) तहसीलदार मुकदमा नं०

किस्म मुकदमा राजस्व अधिनियम अधि. मुकदमा नम्बर 222 / 23

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/12/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 111/128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/1/24 को पेश हो।	
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/1/24 को पेश हो।	
24/1/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/1/24 को पेश हो।	
27/1/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 27/1/24 को पेश हो।	
22/4/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इत्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 10/6/24 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मुकदमा नं०



तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहक हुक्म में ज
10/06/24	पचावली काठ पेक्षा हुये। वकील जाधी अनुमति। जाधी अनुमति। जाधी के मल मरिद वराला मेरे समन के तीठ वार तीठ-तीठ मवाने। डिमार्च गये। पावदस मवाने। डिमार्च के जाधी क जाधी के मरिद वराला अनुमति। मेत! उक्त उक्तान छ करण। जाधी की मरु हाजरी क मरु जेरवी के इकारिद बिना जाता है। पचावली विगील दुगा होकर इन्विज दफतर है।	